UPMT010034602026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, मथुरा।

उपस्थितः अनुराग शर्मा (एच.जे.एस.)

आई.डी. नं०– यू.पी. 1571

दाण्डिक निगरानी संख्या–206/2026

1. धर्म सिंह पुत्र निहाल,
2. राम सिंह पुत्र धर्म सिंह,
3. राजेन्द्र पुत्र धर्म सिंह
4. उमेश पुत्र राजेन्द्र
5. रोशनलाल पुत्र परभाती

निवासीगण– लालपुर, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा।

––––––निगरानीकर्तागण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा।
2. भगत सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी–ग्राम लालपुर, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा।

–––––प्रत्यर्थीगण।

धारा–452, 323, 504, 506 भा०द०सं०
थाना–कोसीकलां, जिला मथुरा।

निर्णय

1– दाण्डिक निगरानी की यह पत्रावली आदेश के लिए प्रस्तुत हुई है। विगत नियत तिथि पर निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2– यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण धर्म सिंह आदि द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) छाता, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या–3573/2024 भगत सिंह बनाम राम सिंह आदि, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा में पारित आलोच्य तलबी आदेश दिनांकित 13.03.2026 के विरुद्ध संस्थित की गयी है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण को धारा 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० के विचारण हेतु तलब किया गया है।

3– निगरानीकर्तागण का यह कहना है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ है। अवर न्यायालय के द्वारा जुडिशियल माइन्ड एप्लाई किये बगैर आदेश पारित कर दिया है जो खारिज होने योग्य है। अवर न्यायालय के द्वारा जबकि दिनांक 13.03.2026 को बी०एन०एस० लागू हो गयी थी, लेकिन अवर न्यायालय के द्वारा आई०पी०सी० में ही आदेश जारी किया गया है जो नियमानुसार गलत है।

Digitally signed by ANURAG SHARMA
Date: 2026.07.27 16:30:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घटना दिनांक 08.10.2023 की 5:30 बजे बतायी गयी है, उस घटना में सुबह की थी या शाम की है कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त वादी भगतसिंह, मुल्जिम धर्मसिंह पुत्र निहाल सिंह का बेटा है। उक्त धर्म सिंह वृद्ध है। धर्म सिंह के पहली पत्नी के राजेन्द्र व रामसिंह हैं व दूसरी पत्नी के भगत सिंह, बिजेन्द्र आदि हैं। इसी वजह से रंजिश मानते है और दिनांक 13/14.07.22 की रात को समय करीब 12:30 बजे प्रार्थी/निगरानीकर्ता धर्म सिंह घर पर सो रहा था और प्रार्थी पर भगतसिंह, बिजेन्द्र व सिकन्दर आदि के द्वारा हमला कर दिया गया और प्रार्थी के पैर तोड़ दिये गये। प्रार्थी मरणाअवस्था में था और जब प्रार्थी को वे लोग खत्म कर रहे थे, उसी समय पूर्व पत्नी का बेटा राजेन्द्र व उमेश आ गये और उसे बचाया। उक्त लोग उस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर गये थे मैं बाल बाल बचा, मैंने घटना की रिपोर्ट थाना कोसीकला पर दर्ज करायी जिसका अपराध संख्या–594/22 धारा 307, 504, 506, 323, 352, 452 आई०पी०सी० में दिनांक 14.07.22 को दर्ज हुआ है। उक्त मुकदमे में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए निगरानीकर्ता के ही पुत्र भगतसिंह के द्वारा दिनांक 08.10.23 को 5:30 बजे की घटना दिखाकर झूठा प्रार्थना पत्र एस०एस०पी० मथुरा को दिया गया और न्यायालय में धारा 156(3)सीआर०पी०सी० के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। अवर न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर थाने से रिपोर्ट मंगायी गयी। घटना की पुलिस के द्वारा पुष्टि नहीं की गयी और दिनांक 12.07.2024 को कम्पलेंट ट्रीट किया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में 200 सीआर०पी०सी० के तहत भगत सिंह का ब्यान दिनांक 03.03.2025 को अंकित किया गया जिसमें दिनांक 08.10.2023 को शाम को 5:30 बजे उक्त मुल्जिमान लोहे की रॉड कट्टा लेकर उसके घर में आये। उसने घर के दरवाजे बन्द कर लिये और दरवाजे पर रॉड मारी मेरे साथ गाली–गलौज कर रहे थे। ये ब्यान दिया गया जिसमें दरवाजे बन्द हो गये थे हम घर में नहीं घुसे थे ये माना जायेगा और झूठा ब्यान दिया गया है, मौके पर कोई भी 100 नम्बर पर फोन नहीं किया गया, न कोई घटना गांव में इस तरह की हुई। इसी वजह से रिवीजनकर्ता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और धारा 452 आई०पी०सी० का उक्त 200 के ब्यान के आधार पर नहीं बनता और वादी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई चोट नहीं है, कोई फायर की चोट नहीं है। पी०डब्लू०–1 बिजेन्द्र पुत्र धर्म सिंह जो वादी का भाई है और मुल्जिम धर्म सिंह का बेटा है और उसने बताया मैंने अपने खुली आँखों से देखा कि लाठी, डण्डा, तमंचा लेकर भगत सिंह की हत्या करने के इरादे से घर में घुसकर भगत सिंह को भद्दी–भद्दी गालियां दी। इसमें घर में घुसने का ब्यान दे रहा है और 200 के ब्यान में घर में नहीं घुसे है और दोनों में विरोधाभाष है, इसलिए धारा 452 आई०पी०सी० का कोई केस नहीं बनता। अवर न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन नहीं किया बगैर जुडिशियल माइन्ड पारित किये आदेश पारित कर दिया है। पी०डब्लू० 2 सोना पत्नी वीरपाल का झूठा ब्यान दिनांक 05.10.25 को दर्ज किया गया है। उक्त सोना को दिनांक 17.04.2026 को जब गांव में उसके ब्यान के सम्बन्ध में बताया गया तो उसने कहा कि मैं न्यायालय नहीं गयी, न मैंने न्यायालय में कोई ब्यान दिया और उक्त भगत सिंह वादी मुझ से काफी समय पहले मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरा फोटो ले गया था। किसी औरत को खड़ा करके उक्त ब्यान करा दिया गया और वह न्यायालय कभी नहीं आयी, जिसके सम्बन्ध में जुडिशियल मजिस्ट्रेट छाता के न्यायालय में अपना शपथपत्र दिया है और अपना शपथपत्र श्रीमान जी के समक्ष भी दिया गया है जो पत्रावली पर संलग्न है। इसलिए उक्त घटना झूठी है। अवर न्यायालय के द्वारा प्राइमा फेसी केस मेडआउट होना नहीं लिखा है इसलिए उक्त आदेश गलत है और अपने आदेश में साक्ष्य पी०डब्लू० 1 व 2 के

200 के ब्यान की भी समीक्षा नहीं की है और बगैर अवलोकन किये उक्त आदेश गलत पारित किया गया है। अतः उपरोक्त निगरानी को स्वीकार करते हुए उपरोक्त निगरानी में लिये गये आधारों पर परिवाद सं० 3573/24 सिविल जज सी०डि० छाता भगतसिंह बनाम राम सिंह धारा 452, 323, 504, 506 आई०पी०सी० थाना कोसीकला में पारित आदेश दिनांक 13.03.26 को निरस्त करते हुए उचित एवं वांछित आदेश पारित किये जाने की याचना की है।

4– निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश व आदेश–पत्रों की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

5– प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से आपत्ति का०सं०–7 ख इस आशय की दाखिल की गयी है कि उक्त निगरानी गलत आधारों पर दाखिल की है। उक्त निगरानी में दिये गये सारे तथ्य गलत हैं। आदेश गवाह सबूत की पूरी तरह से जांच कर पारित किया गया है।

6– प्रत्यर्थी संख्या–1/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को विधिसम्मत बताया गया है तथा कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 द०प्र०सं० व गवाहन के बयान अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० दर्ज करने के उपरान्त उनका परिशीलन कर यह आदेश पारित किया गया है जो कि यथोचित है। अतः निगरानी खारिज किये जाने की याचना की।

7– सुना एवं आलोच्य आदेश का सम्यक परिशीलन किया। प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.03.2026 के माध्यम से परिवाद संख्या–3573/2024 भगत सिंह बनाम राम सिंह आदि के प्रकरण में निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण को धारा 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० के विचारण हेतु तलब किया गया है कि जिस आदेश को अपास्त किये जाने हेतु यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **संजय सिंह रामाराव चवान बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के व अन्य, (2015) 3 SCC 123** में इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि *"Unless the order passed by the Magistrate is perverse or the view taken by the court is wholly unreasonable or there is non consideration of any relevant material or there is palpable misreading of records, the Revisional Court is not justified in setting aside the order, merely because another view is possible. The Revisional Court is not meant to act as an appellate court. The whole purpose of the revisional jurisdication is to preserve the power in the court to do justice in accordance with the principles of criminal jurisprudence. The revisional power of the court under Section 397 to 401 Cr.P.C. is not to be equated with that of an appeal. Unless the finding of the Court whose decision is sought to be revised, is shown to be perverse or untenable in law or is grossly erroneous or glaringly unreasonable or where the decision is based on no material or where the material facts are wholly ignored or where the judicial descretion is excercised arbitrarily or capriciously, the court may not interfere with decision in exercise of their*

revisional jurisdiction."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमित कपूर बनाम रमेश चन्देर,** (2012) 9 SCC 460 तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती शीला देवी बनाम मुन्नालाल,** 2000 (41) ACC 158 में यह अवधारित किया गया है कि *"While the appellate jurisdiction is co–extensive with the original court's jurisdiction as appreciation and re–appreciation of evidence is concerned, the revisional court has simply to confine to the legality and propriety of the findings and as to whether the subordinate court acted within it's jurisdiction. A revisional court has no jurisdiction to set aside the findings of facts recorded by the Magistrate and impose and substitute its own findings. Sections 397 to 401 CrPC confer only limited power on revisional court to the extent of satisfying the legality, propriety or regularity of the proceedings or orders of the lower court and not to act like appellate court for other purposes including the recording of new findings of fact on fresh appraisal of evidence. इसके अलावा विधि–व्यवस्था* ***अमित कपूर बनाम रमेश चन्देर, (2012) 9 SCC 460*** *में यह भी अवधारित किया गया है कि 'The revisional jurisdiction of the Court u/s 397 CrPC can be exercised so as to examine the correctness, legality or propriety of an order passed by the trial court or the inferior court, as the case may be. Though Section 397 CrPC does not specifically use the expression "prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice", the jurisdiction u/s 397 CrPC is a very limited one. The legality, propriety or correctness of an order passed by a court is the very foundation of exercise of jurisdiction u/s 397 CrPC but ultimately it also requires justice to be done. The jurisdiction can be exercised where there is palpable error, non–compliance with the provisions of law, the decision is completely erroneous or where is the judicial discretion is exercised arbitrarily'. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा* ***मैटर्स अंडर आर्टिकल 227 नंबर 12231/2025*** *में पारित निर्णय दिनांकित 03.06.2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था* ***अमित कपूर बनाम रमेश चन्देर, (2012) 9 SCC 460*** *का हवाला देते हुये यह मत व्यक्त किया है कि The scope of revisional jurisdiction is well settled. The revisional power is essentially supervisory in nature and is to be exercised sparingly, primarily to correct jurisdictional errors, patent legal infirmities, or material irregularities occasioning a miscarriage of justice. It is not intended to confer upon the revisional court the powers of an appellate court to reappreciate or reassess the evidence on record. Interference with concurrent or factual findings is warranted only where such findings are demonstrably perverse, manifestly illegal, or so unreasonable that they result in a failure of justice. The revisional jurisdiction, therefore, is invoked only to prevent a miscarriage of justice or to rectify an abuse of the process of the court, and not merely because*

another view on the evidence is possible. Mere suspicion, conjecture, or apprehension, unaccompanied by any patent illegality or perversity in the impugned order, cannot constitute a valid ground for interference in revision."

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **रामजी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2019(108) ACC 139** में यह अवधारित किया गया है कि *"In exercising its revisional power, jurisdiction of Sessions Court is very limited. Sessions Court can only examine the illegality, irregularity and impropriety of the order passed by the Magistrate."*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चन्द्र बाबू बनाम राज्य,** (2015) 8 SCC 774 में अपना यह मत व्यक्त किया गया है कि *"Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law. However, when factual appreciation is involved, then it must find place in the class of cases resulting in a perverse finding. Basically, the power is required to be exercised so that justice is done and there is no abuse of power by the court. Merely an apprehension or suspicion of the same would not be a sufficient ground for interference in such cases."*

8– माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांत तथा धारा 397 दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुसार इस न्यायालय को प्रस्तुत निगरानी में विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश में शुद्धता, वैधता एवं औचित्य संबंधी त्रुटि पर ही विचार करना है।

9– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक/शिकायतकर्ता के द्वारा की गयी शिकायत तथा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० तथा अन्य साक्षीगणों के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० के आधार पर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया है। तलबी के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होता है कि अभियुक्तगण को तलब करने के आधार पर्याप्त हैं या नहीं। मूल पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 द०प्र०सं० में परिवादी ने कथन किया है कि "*दिनांक 08.10.2023 को शाम करीब 5.30 बजे मेरे परिवारीजन एवं पड़ोसी राजेन्द्र, रामसिंह, रोशनलाल, उमेश, धर्मसिंह हाथों में लोहे की रॉड व कट्टा लेकर मेरे घर में आये। मैंने घर के दरवाजे बन्द कर लिये तो दरवाजे पर रॉड मारी। मेरे साथ गार्ला–गलौज कर रहे थे तथा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मौके पर पड़ोसी धर्मा, सोना, सुनीता आदि लोग इकट्ठा हो गये। मैंने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई।*" उपरोक्त बयान में परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा उसके घर में घुसकर अपराध कारित करने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है व न ही मारपीट के बाबत कोई कथन किया गया है। जबकि इस मामले में परीक्षित हुए साक्षी पी०डब्लू०–1 विजेन्द्र ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के बाबत कथन किये हैं। मामले की दूसरी साक्षी पी०डब्लू०–2 श्रीमती सोना ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में घटना को अपनी आँखों से देखने का कथन करते हुये कथन किया है कि "*मेरे पड़ोसी भगत सिंह के घर*

पर रामसिंह, राजेन्द्र, उमेश, रोशन लाल व धर्म सिंह हाथों में लाठी, डंडा, अवैध तमंचा लेकर जोर जबरदस्ती जबरन गुंडागर्दी के दम पर भगत सिंह के घर में घुस गये। भगत सिंह ने जब बचाओ–बचाओ चिल्लाया तो मेरे तथा अन्य पड़ोसियों के माध्मय से उक्त लोगों से बड़ी मुश्किल से बचाया।" उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के घर में घुसने का कथन किया है किन्तु अपने बयान में उक्त साक्षी ने निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। उपरोक्त के आधार पर परिवादी के बयान व अन्य साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास विद्यमान है किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने इन तथ्यों का परीक्षण किये बिना अत्यन्त संक्षिप्त समन आदेश पारित कर दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समन जारी करने के स्तर पर मजिस्ट्रेट को विस्तृत साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना होता, किन्तु उसे उपलब्ध सामग्री का न्यायिक परीक्षण अवश्य करना होता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित पी०डब्ल्यू०–2 श्रीमती सोना ने विद्वान अवर न्यायालय एवं निगरानी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथपत्र देकर स्पष्ट आरोप लगाया है कि उसने न्यायालय में कोई बयान नहीं दिया तथा उसके स्थान पर किसी अन्य महिला को प्रस्तुत कर कथित बयान अंकित करा लिया गया। जिसका इन्द्राज विद्वान अवर न्यायालय के आदेश–पत्र पर भी है। यदि ऐसा है तो यह केवल गवाह की विश्वसनीयता का प्रश्न नहीं है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया के साथ छल (fraud upon the Court) का प्रथमदृष्टया गंभीर आरोप है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **A.V. Papayya Sastry v. Government of A.P., (2007) 4 SCC 221** में प्रतिपादित किया है कि **"Fraud vitiates all judicial acts."** उपरोक्त विधि–व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि यदि न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी कर आदेश प्राप्त किया गया हो तो ऐसा आदेश विधिक रूप से 'शून्य' व 'प्रभावहीन' होता है। इसी प्रकार **S.P. Chengalvaraya Naidu v. Jagannath, (1994) 1 SCC 1** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि *"धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश न्यायालय की दृष्टि में शून्य है।"* यद्यपि इस स्तर पर निगरानी न्यायालय यह अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा कि वास्तव में प्रतिरूपण हुआ अथवा नहीं, तथापि पी०डब्ल्यू०–2 का शपथपत्र समन आदेश के आधारभूत साक्ष्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, जिसका परीक्षण किये बिना उपरोक्त तलबी आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

10– इस मामले में विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आक्षेपित तलबी आदेश में पत्रावली पर आई साक्ष्य का विश्लेषण न करते हुये संक्षिप्त आदेश पारित किया है। इसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749** में यह मत व्यक्त किया है कि "*किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करना अत्यन्त गंभीर विषय है तथा न्यायालय को उपलब्ध सामग्री पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना आवश्यक है।*" इसी प्रकार **Mehmood Ul Rehman v. Khazir Mohammad Tunda, (2015) 12 SCC 420** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया गया कि "*समन आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है तथा प्रथमदृष्टया अपराध बनना पाया है।*" माननीय उच्चतम न्यायालय ने **State Of Gujarat vs Afroz Mohammed Hasanfatta, AIR 2019 SUPREME COURT 2499** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि "*The extensive reference to the case law would clearly show that cognizance of an offence*

on complaint is taken for the purpose of issuing process to the accused. Since it is a process of taking judicial notice of certain facts which constitute an offence, there has to be application of mind as to whether the allegations in the complaint, when considered along with the statements recorded or the inquiry conducted thereon, would constitute violation of law so as to call a person to appear before the criminal court. It is not a mechanical process or matter of course. As held by this Court in Pepsi Foods Ltd. and another v. Special Judicial Magistrate and others (1998) 5 SCC 749 to set in motion the process of criminal law against a person is a serious matter." The above observations made in para (20) is in the context of taking cognizance of a complaint. As per definition under Section 2(d) Cr.P.C., complaint does not include a police report." उपरोक्त विधि–व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(a) के अंतर्गत कम्प्लेंट पर प्रसंज्ञान लेते हुए अभियुक्त को तलब करने के लिये न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये तथा न्यायालय के समक्ष आये बयानों व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए तार्किक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष इसके अलावा और कोई तथ्य उपलब्ध नहीं होते जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(b) में संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को तलब करने के लिए विस्तारपूर्वक आदेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न्यायालय के पास पुलिस द्वारा अन्वेषण कर एकत्रित साक्ष्य व धारा 161 द०प्र०सं० के बयान अभियुक्त की तलबी हेतु अपनी राय बनाने के लिये पर्याप्त होते हैं। आरोप–पत्र पर संज्ञान लेते हुए तलब करने के लिए केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध उसको संज्ञान लेते हुए तलब करने के पर्याप्त आधार हैं अथवा नहीं।

11– आलोच्य आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो परिवादी एवं गवाहों के कथनों का तुलनात्मक परीक्षण किया है व न ही यह दर्शाया है कि किन तथ्यों के आधार पर प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० का प्रथमदृष्टया अपराध बनता है। आदेश मात्र औपचारिक रूप से यह उल्लेख करता है कि परिवादी एवं गवाहों के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को तलब किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान अवर न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री पर समुचित न्यायिक मनन किया है। अतः आलोच्य तलबी आदेश न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के अभाव तथा उपलब्ध सामग्री के समुचित परीक्षण के अभाव में विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

12– अतः इस न्यायालय का मत है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 13.03.2026 पारित करने में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है तथा जिसमें तथ्यों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय का निष्कर्ष विकृत है जिस कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी संख्या–206/2026 धर्मसिंह आदि बनाम राज्य आदि स्वीकार की

जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 13.03.2026 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय में इंगित विधिक बिन्दुओं एवं तथ्यों के कारण उत्पन्न विकृति को ध्यान में रखते हुये व इस तथ्य की जाँच अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० स्वयं अथवा कराकर कि, क्या साक्षी पी०डब्लू०–2 श्रीमती सोना अपने बयान हेतु न्यायालय में उपस्थित हुयीं अथवा नहीं, पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। परिवादी अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2026 को उपस्थित हो।

इस पुनरीक्षण निर्णय की प्रतिलिपि के सहित अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अवर न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये। कार्यालय आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–27.07.2026

(अनुराग शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–04, मथुरा
ID No. UP 1571

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–27.07.2026

(अनुराग शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–04, मथुरा
ID No. UP 1571